

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

निर्मला भील/सोहन लाल भील, निवासी
इन्द्रा कॉलोनी, फालना स्टेशन, तहसील
बाली जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 15/2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p>	<p>52-5 15/19</p>
29/5/19	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>आपील आपीलांट अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत कट आवेदन सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से लोक सूचना अधिकारी SDO बाली को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया है। आपील सं० 14/2019 एवं 15/2019 एक ही एपे से SDO बाली द्वारा संयुक्त प्रस्तुत एक ही जसिए पत्रांक 810 दि 14/5/19 के अधिनियम कट आपीलांट द्वारा आवेदन सूचना उनके पत्रांक 49 दि 15/5/19 के द्वारा एक पत्र से आपील को अधिनियम अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आपील सं० 14/2019 के अन्तर्गत है। फोटो प्राने इसमें भी संलग्न की जावे।</p> <p>इस आपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अधिनियम नहीं होने से यह आपील drop की जाती है।</p> <p>पत्रावली सुनाए फंसल की जाकर इस अधिनियम से जख्ख से कम हो।</p>	<p>759 14/5/19</p>

जिला कलेक्टर, बाली